छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –52 प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2024-02192**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''कलिन्दी विहार'', प्रमोटर–ओवल कॉमर्शियल प्रा.लि.,
द्वारा–श्री अंशुल जिंदल, पता–उमर रोड, खरसिया, जिला–रायगढ़ (छ.ग)
प्रोजेक्ट–''कलिन्दी विहार'' पता–ग्राम–संगीतरी, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
31/05/2024	– प्रकरण प्रस्तुत। – भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''कलिन्दी विहार'' पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA070819001018** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 07.08.2019 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनाँक 22.02.2023 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा–59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। रजिस्ट्रार, छ.ग. द्वारा प्रतिवेदन दिनाँक 23.11.2023 के अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 07.02.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा पृथक से प्रोजेक्ट पंजीयन को निरस्त करने हेतु आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट पंजीयन को निरस्त करने हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया है। अनावेदक द्वारा किसी व्यक्ति/संस्था आदि की कोई भी बुकिंग धनराशि या भुगतान उस व्यक्ति/संस्था को नियमानुसार बुकिंग की शर्तों अनुसार वापस कर दिया गया है। कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है। अनावेदक	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –52 प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2024-02192**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''कलिन्दी विहार'', प्रमोटर–ओवल कॉमर्शियल प्रा.लि.,
द्वारा–श्री अंशुल जिंदल, पता–उमर रोड, खरसिया, जिला–रायगढ़ (छ.ग)
प्रोजेक्ट–''कलिन्दी विहार'' पता–ग्राम–संगीतरी, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	द्वारा किसी भी संस्था /व्यक्ति का इस प्रोजेक्ट से संबंधित कोई भी भुगतान लंबित नहीं है। प्रमोटर द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाओं की पूर्ण जिम्मेदारी ली जा रही है। प्रमोटर द्वारा यदि भविष्य में प्रोजेक्ट को पुनः प्रारंभ किया जाता है, छ.ग. रेरा में नियमानुसार पुनः रजिस्ट्रेशन कराने उपरांत ही प्रोजेक्ट में विकास/विक्रय का कार्य किया जायेगा। अनावेदक के आवेदन को स्वीकार करते हुये प्राधिकरण द्वारा प्रोजेक्ट पंजीयन को निरस्त किया गया है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर, अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	